

दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन के साथ व्यापार घाटा

4023. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य कितना-कितना है;
- (ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान चीन पर आयात निर्भरता विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ी है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विशेषकर प्लास्टिक और सौर उद्योग में परिणामी व्यापार घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने, घरेलू विनिर्माण को सुदृढ करने और प्रमुख उद्योगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उद्योग के लिए उठाए गए प्रोत्साहन कदमों का ब्यौरा क्या है और अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ताकि इसे भारत में निर्मित किया जाना संभव बनाया जा सके; और
- (ङ) अमृतसर सीमा क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास हेतु आबंटित विशेष पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): पिछले दस वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात का संबंधित मूल्यों सहित विवरण, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट अर्थात्

<://tradedstat.commerce.gov.in/eidb/default.asp> से प्राप्त किया जा सकता है ।

(ख) और (ग): चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएँ कच्ची सामग्रियाँ, एंटरमिडिएट्स वस्तुएँ और पूंजीगत वस्तुएँ, जैसे सक्रिय भेषज सामग्रियाँ, ऑटो कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पाटर्स और असेंबलीज,

मोबाइल फोन के पाटर्स, मशीनरी और उसके पाटर्स आदि हैं, जिनका उपयोग परिसज्जित उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत से बाहर भी निर्यात किया जाता है। इन वस्तुओं का आयात भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, दूरसंचार और विद्युत जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इन श्रेणियों में आयात पर भारत की निर्भरता मुख्य रूप से घरेलू आपूर्ति और मांग में अंतर के कारण है।

भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, सरकार ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स (एपीआई), व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर काफी निर्भरता है। उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) स्तर की घरेलू विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल संबंधी पीएलआई योजना का परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये है।

सरकार ने बाजार में अवमानक और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की जांच करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन के लिए सख्त गुणवत्ता मानक और उपाय भी लागू किए हैं। प्लास्टिक क्षेत्र के लिए, अवमानक प्लास्टिक के आयात पर अंकुश लगाने और देश में उत्पादित प्लास्टिक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम 2016 के तहत उत्पादों के मानकों को अनिवार्य बना दिया गया है। मोल्डिंग एवं एक्सट्रूजन और एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को कार्यान्वित किया गया है।

सरकार भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का पता करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार नियमित आधार पर आयात में वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) के एक भाग के रूप में, पंजाब राज्य में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) राजपुरा-पटियाला (1,098.85 एकड़) को भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1367.72 करोड़ रुपये (भूमि सहित) है।
